संख्या:28/2023/1038ई-2/तेरह-2023-1720269

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 26 जून, 2023

विषयः- मेसर्स ग्लोबस स्प्रिट लिमिटेड, ग्राम-अब्बासपुर, औरंगाबाद, तहसील-मितौली-लखीमपुर खीरी में 150 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता का ग्रेन प्लान्ट, 150 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता का ग्रेन/शीरा प्लान्ट, 15 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता का माल्ट प्लान्ट तथा पेय मदिरा के निमाणार्थ मिश्रित आसवनी स्थापित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-45/दो-प्रा.डी.-270/ग्लोबस स्प्रिट, दिनांक 16-06-2023 तथा इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 22-06-2023 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या:1027ई-2/तेरह-2023-1720269, दिनांक 22-06-2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 16-06-2023 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं आद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स ग्लोबस स्प्रिट लिमिटेड, ग्राम-अब्बासपुर, औरंगाबाद, तहसील-मितौली-लखीमपुर खीरी द्वारा 315 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता अर्थात् वर्ष में350 कार्य दिवस के आधार पर 1102.5 लाख लीटर क्षमता की मिश्रित आसवनी जिसके अन्तर्गत 150 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता का ग्रेन प्लान्ट अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 525 लाख ली. वार्षिक ग्रेन ई.एन.ए. एवं रेक्टिफाइड स्प्रिट (इम्प्योर स्प्रिट), 150 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता का ग्रेन/शीरा प्लान्ट अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 525 लाख ली. वार्षिक ग्रेन एथनॉल, ई.एन.ए., रेक्टिफाइड स्प्रिट (इम्प्योर स्प्रिट) तथा 15 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता का माल्ट प्लान्ट अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 52.5 लाख लीटर वार्षिक क्षमता का माल्ट स्प्रिट प्लान्ट तथा 372 लाख लीटर पेय मदिरा (देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा) के उत्पादन किये जाने हेतु मिश्रित आसवनी, जिसके अन्तर्गत रेक्टिफाइड स्प्रिट/अब्सोल्यूट अल्कोहल/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

ई.एन.ए./माल्ट स्प्रिट एवं पेय मदिरा का उत्पादन एवं विक्रय किया जायेगा, स्थापित किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवनी/इकाई द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अक्षरश: अनुपालन करते हुये उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) आसवक द्वारा ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु शासनादेश संख्या 33/2021-810 ई-2/तेरह-2021-107/2013 दिनांक 26-03-2021 में लगायी गयी शर्तों का अक्षरश: अनुपालन किया जायेगा तथा नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(2) ग्रेन से एथनॉल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(3) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा बॉटलिंग हाल में समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों के अनुसार मास फ्लो मीटर, राडार बेस्ड लेबल ट्रान्समीटर एवं बॉटल काउन्टर तथा एथनॉल टैंकों पर राडार बेस्ड लेबल ट्रान्समीटर लगाया जायेगा।

(5) प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई राजस्व देयता/बकाया नहीं है।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राकेश कुमार सचान)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्याः28/2023/1038(1)ई-2/तेरह-2023-1720269,तद्दिनांकः-

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
(2) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार सचान)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।